समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय अधिसूचना संख्या-559(3)रा0 दिनांक 06.05.2015 द्वारा मधेपुरा जिला में कुल 6(छः) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। सम्प्रति वे सभी योगदान कर चुके हैं।

विभाग द्वारा दूरभाष पर दिये गये निदेश के आलोक में इस जिला में योगदान करने वाले सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों में से वरीयतम सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी श्री मीर ऐनुल हक को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय तथा श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, वरीय उप समाहर्त्ता जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रभार में है, को वरीय पदाधिकारी, बन्दोबस्त नामित किया जाता है।

बन्दोबस्त कार्यालय का संचालन समाहरणालय नीचले तल पर अवस्थित कमरा संख्या-14 में किया जायेगा, जिसमें सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, लिपिक, अमीन के बैठने एवं कार्य करने की व्यवस्था की गई है।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि इन सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्य संचालन करने हेतु तत्काल कुर्सी एवं टेबुल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 436-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 06-06-2015.

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- श्री कृष्णमोहन प्रसाद, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- श्री मीर ऐनुल हक, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/ सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।